

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोरखपुर.

सेवा में,



जगरोशन पब्लिक स्कूल
जंगल हरपुर भटहट
जनपद – गोरखपुर.

पत्रांक : बे0शि0प0/आख्या/ 209-69 2020-21

दिनांक : 16/09/2020

विषय : जगरोशन पब्लिक स्कूल गोरखपुर के सम्बन्ध में आख्या प्रेषण।
महोदय,

आपके आदेश पत्रांक : मेमो/2019 -20 दिनांक 02/09/2020 के अनुपालन में सादर अवगत कराना है की आदित्य पब्लिक स्कूल झंगहा गोरखपुर को पत्रांक 582-83 C-242/ 2016 दिनांक 29/04/2016 द्वारा अस्थायी 'ब' श्रेणी की मान्यता प्रदान की गई है । शासनादेश संख्या 418/79-6-2013-18 एस (7)/89 शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 08 मई 2013 के द्वारा वर्णित है की कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं आता है तो तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात यह मान लिया जाएगा की विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गई है, के आलोक में जगरोशन पब्लिक स्कूल गोरखपुर वर्तमान में ठीक प्रकार से संचालित हो रहा है। अतः उपरोक्त विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान कर दी गई है ।


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोरखपुर. 

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रबन्धक/प्रधानाचार्य जगरोशन पब्लिक स्कूल गोरखपुर
2. खण्ड शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर
3. जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर.

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर

(जिला- गोरखपुर, उ०प्र०)

संख्यांक/निरीक्षण/582-83

/2016-17

तारीख 29/04/16

प्रबन्धक,

जगरोशन पब्लिक जूहाउस्कूल

जंगल हरपुर भटहट गोरखपुर

विषय- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 30.08.15 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राज्ञा/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं जगरोशन पब्लिक जूहाउस्कूल जंगल हरपुर भटहट गोरखपुर को तारीख 01.07.2015 से तारीख 30.06.2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्री-प्राइमरी, प्राइमरी एवं जूहाउस्कूल स्तर (प्राइमरी स्तर से पूर्व की दो कक्षाएँ तथा एक से आठ तक की कक्षाओं) के लिए अंग्रेजी माध्यम की अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त, मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्वधीन है :-

1-मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2-विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबन्ध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।

3-विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4-पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्रदान करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5-सोसाइटी/विद्यालय किसी कंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्वधीन नहीं करेगा।

6-विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा।

विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :

(i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में प्रथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्काशित नहीं किया जाएगा।

(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या नैतिक उत्पीड़न के अध्वधीन नहीं किया जायेगा।

(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

Rohank
Manager
Jagroshan Public Jr High School
Jungli Harpur Bhatat, Gorakhpur

Principel
Principel
Jagroshan Public School
Harpur, Bhatat, Gorakhpur

Principel
Principel
Jagroshan Public School
Khairabad, M. Bad, Gorakhpur

Manager
Manager
Jagroshan Public Jr High School
Jungli Harpur Bhatat, Gorakhpur

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।

(v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार नि:शक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताये नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7-विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8-विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार है।

- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल- 45000 वर्गफीट
- कुल निर्मित क्षेत्र - 5000 वर्गफीट
- क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल -10000 वर्गफीट उपलब्ध है।
- कक्षाओं की संख्या - 10 उपलब्ध है।
- प्राध्यापक-सह- कार्यालय-सह- भंडागार के लिए कक्षा- उपलब्ध है।
- बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय - उपलब्ध है।
- पेयजल सुविधा - उपलब्ध है
- मिल-डे-मिल पकाने के लिए रसोई- उपलब्ध
- वाधारहित पहुँच - उपलब्ध है।
- अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता - उपलब्ध है।

9-विद्यालय की कक्षाओं के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएगी।

10-विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

11-स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।

12-विद्यालय के लेखाओं को किसी वार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और संपरीक्षा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।

13-आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड C-242/2016 है, कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्याक का प्रयोग करें।

14-विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो नियम-समय पर शिक्षा निर्देशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है।

Principal

Manager
Jagmohan Public Jr High School
Jungle Harpur Bhatthar, Gorakhpur

Manager
Jagmohan Public Jr High School
Jungle Harpur Bhatthar, Gorakhpur

है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जायें।

15-सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।

16-शिक्षकों/कर्मचारियों की नियुक्ति में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूगोशास्कूल) (अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियमावली 1978 में विहित प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

17-जिस विद्यालय भवन पर उक्त मान्यता प्रदान की जा रही है उस विद्यालय भवन पर पूर्व से प्राप्त की गयी मान्यता स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

18-मान्यता आवेदन पत्र तथा संलग्न पत्राचारों में उल्लिखित अन्य कोई विवरण/तथ्य असत्य पाये जाते हैं अथवा कोई तथ्यगोपन पाया जाता है या मान्यता आदेश प्रमाण-पत्र में जिन कर्माओं का उल्लेख है उसके अतिरिक्त अन्य कक्षाएँ संचालित पाये जाने पर मान्यता प्रमाण-पत्र नियमानुसार निरस्त कर दिया जायेगा।

भवदीय



(ओपीओएचव)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोरखपुर

पृष्ठ सं-संख्याक/निरीक्षण/

/2016-17 तददिनांक

प्रतिलिपि- सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) गोरखपुर मण्डल गोरखपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोरखपुर

Principal
Anni Memorial Public School
Chakraborty, Mahammadabad Gohna
Mau (U.P.)

Principal
Heaven Garden Jr High School
Khairabad, M. Bad Gohna-Mau

Principal
Jugroshan Public School
Jungle Harpur, Bhatat, Gorakhpur

Manager
Jugroshan Public Jr High School
Jungle Harpur Bhatat, Gorakhpur

Manager
Jugroshan Public Jr High School
Jungle Harpur Bhatat, Gorakhpur